खाद्यान्नों की कुल मात्रा में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों को जारी करने के अलावा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बफर स्टाक को भी बनाए रखना होता है और "मिड-डे-मील" योजना के अधीन खाद्यान्न जारी करने जैसी वचनबद्धताएं भी पूरी करनी होती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुले बाजार का विकल्प नहीं है बल्कि यह केवल इसकी अनुपरक है।

जून, 1997 में लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से आवश्यकता को हिसाब से लेने के बाद विगत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन हुए औसत वार्षिक उठान के आधार पर निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार निर्धारित आवंटन के अलावा, आवश्यकता तथा केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और खाद्य सब्सिडि संबंधी बाधाओं को ध्यान में रखकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त आवंटन भी किए जाते हैं।

श्री राज मोहिन्दर सिंह: सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि पी०डी०एस० योजना जिस लक्ष्य को लेकर शुरू की गई थी, वह लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है। मिनिस्टर साहब ने अभी बताया कि एक फैमिली को एट दि रेट आफ दस किलो पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। हम जमींदार लोग सारी उम्र खेती करते रहे हैं। खेती करने वाले एक व्यक्ति को हम एक मन अनाज देते हैं तो एक फैमिली जिसके सदस्यों की संख्या पांच है उसे दो क्विंटल एक मंथ के लिए चाहिए, तो क्या इस सिस्टम के तहत दस किलो अनाज में उस फैमिली का गुजारा हो सकता है? अतः यह सिस्टम बिल्कुल गलत है। इस योजना के तहत जो संस्थाएं गांव में अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने जाती हैं वे गांव में जाती ही नहीं हैं तथा घर बैठे ही लोगों के अंगूठे कागजों पर लग जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी की जाए। मिनिस्टर साहब का इस संबंध में क्या जवाब है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: यह सही है कि दस किलोग्राम में एक परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, उसे अंदाजन 73 किलो चाहिए। एक महीने के लिए एक फेमिली को 73 किलो चाहिए, यह अंदाजा है। दस किलो से गुजारा नहीं होता है। दस किलो से सपोर्ट होता है। दस किलो बहुत थोड़े दाम पर दिया जाता है। उनको सपोर्ट करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया जा रहा है। उनकी जो पूरी जरूरत है वह इसको पूरी नहीं कर सकता है।

श्री राज मोहिन्दर सिंह: जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा दस किलो दिया जाता है। पांच मेंबर की फैमिली को दस किलो दिया जाता है, इससे कुछ बात बनने वाली नहीं है। एफ०सी०आई० जो पी०डी०एस० का अनाज देने के लिए जिम्मेदार है, इसकी पंजाब में इंडिपेंडेंट इन्क्वायरी करा लीजिए। वहां पर एफ०सी०आई० गोदामों का बहुत बुरा हाल है। एफ०सी०आई० के गोदामों में अनाज सड़ रहा है, गल रहा है। उसको गरीबों में बांटने के बजाए खराब कर रहे हैं। एक साल वह अनाज वहां पड़ा रहता है। वह इसकी इन्क्वायरी करते हैं और अगर सौ टन अनाज सड़ जाता है तो उसकी रिपोर्ट चली जाती है कि एक हजार टन अनाज सड़ गया। आप इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा दीजिए। जो पी०डी०एस० का अनाज एफ०सी०आई० में है, इन एजेंसीज की इंडिपेंडेंट इन्क्वायरी होनी चाहिए। इसका आप क्या जवाब देंगे?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: एफ०सी०आई० के गोदामों की बात और है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एफ०सी०आई० गोदामों से कोई ताल्लुक नहीं है। एफ०सी०आई० के गोदामों में महज उसको स्टोर किया जाता है और जहां जहां उसकी जरूरत होती है, उसको वहां भेजा जाता है। आनरेबल मेंबर यह सही कह रहे हैं कि एफ०सी०आई० के गोदामों की हालत कई जगह बहुत अच्छी नहीं है। कोशिश की जाती है कि उनकी हालत सुधारी जाए। लेकिन इसका डाइरेक्टली पी०डी०एस०, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है।

MR. CHAIRMAN: There are two allied questions, question No. 68 and question No. 72. We will take up them together. Shri Ish Dutt Yadav. Not present. Chaudhary Harmohan Singh Yadav. Not present. Shri N.R. Dasari.

SHRI N.R. DASARI question No. 72.

Implementation of Targeted Public Distribution System

@*72. SHRI N.R. DASARI:
SHRI GAYA SINGH:†

Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that implementation of the targeted Public

† *The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Kamla Sinha.*

Distribution System has been tardy in many States;

(b) if so, to what extent the Scheme has been implemented in different States and

(c) the measures proposed to be taken to improve implementation of the Scheme?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND THE MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Public Distribution System (PDS) is implemented under the joint responsibility of the Central and the State Governments. While the Central Government procures and makes available to the States at subsidised prices certain essential comodities, *viz*, rice, wheat, sugar, edible oil and kerosene the responsibility of distribution to the consumers through the network of fair price shops (FPS) rests with the State Government/Union Territory Administration. Identification of the beneficiaries. issue of cards and supervision of FPSs are matters within the administrative jurisdiction of the States/UTs.

TPDS has been implemented in all States/UTs except in the State of National Capital Territory of Delhi and the Union Territory of Lakshadeep.

(c) In the guidelines for implementation of the Targeted Public Distribution System (TPDS), the States UTs have been asked to constitute vigilance Committees at various levels. draw up inspection schedules right from collector/District Magistrate to the Inspector of Supplies and take measures to introduce greater transparency in the working of the System. The need to take effective measures to ensure that card holders, particularly those below poverty line, are able to get PDS commodities without hindrance has been impressed upon the States/UTs. A Model Citizens' Charter for TPDS has also been prepared and circulated to the States/UTs for adoption.

MR. CHAIRMAN: Mr. Dasari, please put your first supplementary.

SHRI N.R. DASARI: No, Sir.

MR. CHAIRMAN: You don't want to put any question? Okay.

Mr. Gaya Singh. Not present. Shrimati Jayaprada Nahata.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, we want to put questions.

MR. CHAIRMAN: After Shrimati Jayaprada puts her supplementary, I will call you. I have already called her name.

SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Goveamment's attention has been drawn to a recent report of the World Bank's study on the working of anti-poverty programmes in India which says that to reach Re. 1 to the poor by way of benefit, the Government has to spend Rs. 7 on the public distribution system. I would like to know from the hon. Minister what is the Government's reaction to it? What steps have been taken to eliminate corruption in this regard? I would like to know from the Ministaer whether it is a fact that out of 21 lakh tonnes of poor quality rice procured in 1997-98, 18 lakh tonnes have been issued under the public distribution system. I would also like to know from the hon. Minister whether the Central Government has received strong protests from the State Governments. If so, the names of the States.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Mr. Chairman, Sir, parts of the reports are not correct because they appear to be exaggerated. Our effort has been that procurement should be made of only such foodgrains which are fit for human

consumption. There is no procurement of foodgrains, whether rice or wheat, which are not fit for human consumption. So, storage of only those foodgrains is made. Only those foodgrains are distributed through the public distribution system. We do receive some complaints from some States. Sometimes we try to rectify the supply of foodgrains in those States.

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमको जो रोज़ पापुलेशन ब्लाक दूरदर्शन द्वारा दिखाया जाता है, उसमें भारत की आबादी 98 करोड़ 24 लाख की बनती है। आज सवेरे का आंकड़ा था कि हमारी आबादी साढ़े अठानवे करोड़ है। अखबारों के माध्यम से हमें यह सूचना मिलती है कि हमारे देश में जारी किये गये राशन कार्डों के अनुसार हमारे देश की आबादी एक अरब 25 करोड़ के आसपास चल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राशन कार्डों के वितरण की प्रणाली या बनाने की प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार कोई व्यवस्था कर रही है? दसारी साहब के प्रश्न के उत्तर में आपने बताया कि हमारा जो पी०डी०एस० सिस्टम है, वह बोगस कार्डों में ज्यादा खर्च हो जाता है और सही मायने में जिनको आवश्यकता है, उन तक राशन पहुंच नहीं पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे देश के सभी खाद्य मंत्रियों को बुला कर इस सारी वितरण प्रणाली पर नये सिरे से विचार करके नयी सदी के लिए कोई नयी नीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: सभापति महोदय, बोगस राशन कार्डों की बात की गई है, राशन कार्ड इश्यु करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। जिस-जिस को वह चाहते हैं, वो उनके हिसाब में आता है...**(व्यवधान)**

श्री बालकवि बैरागी: यही तो बहस है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: उनको राशन कार्ड इश्यु किया जाता है। हमारी तरफ से डायरेक्शन भी जाता कि राशन कार्ड चैक कर लिये जाएं। स्टेट गवर्नमेंट्स भी कई दफा चैक करती है, कई दफा बोगस राशन कार्ड रिजेक्ट भी होते हैं। लेकिन यह बात भी हो सकती है कि कुछ राशन कार्ड ज्यादा तादाद में भी होंगे। राशन कार्ड सही बनाता है, जिसको बहुत ज्यादा जरुरत होती है। बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों के राशन कार्ड ज्यादा है, ऐसा मालूम हुआ है। अगर उनको थोड़ा ज्यादा राशन भी पहुंच जाए तो मैं समझता हूं कि उसमें बहुत गलत बात नहीं है। यह बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों को जाता है, वे राशन की सहायता नहीं लेते हैं। इसलिए उनको अगर ज्यादा कसा जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

श्री बालकवि बैरागी: बोगस राशन कार्डों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।...**(व्यवधान)**

श्री ओंकार सिंह लखावत: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे प्रदेश है जहां अनाज और खाद्यान्न बहुत कम पैदा होता है और वहां पर खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट रहता है। क्या उन राज्यों के लिए जहां खाद्यान्न कम पैदा होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज के वितरण के लिए कोई विशेष मापदंड रख रहे हैं? जहां अकाल ज्यादा पड़ता है, वहां के लिए क्या व्यवस्था कर रहे है, यह मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: सभापति महोदय, जहां जहां ज्यादा अनाज की जरुरत होती है, उन राज्यों को उतना अनाज सप्लाई किया जाता है और स्पेशल एलोकेशंस भी की जाती है। जहां-जहां भी ऐसी मुसीबत आ जाए, जहां बाढ़ आ जाती है वहां ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ जाती है या कहीं सूखा पड़ जाए तो उसके लिए ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ जाती है, उन स्टेट्स को कुछ ज्यादा एलोकेशन कर देते हैं। जहां जहां से ऐसी कम्पलेंट्स आती है, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं।

SHRI JIBON ROY: Mr. Chairman, Sir, since this Government came to power, every year, the quantum of allotment to the PDS as well as the off-take is going down. According to the Economic Survey in 1996-97, the allotment was 25.81 million tonnes and the off-take was 21.39 million tonnes; in 1997-98, the allotment was 22.94 million tonnes and the off-take was only 16.98 million tonnes; in 1998-99, the allotment was 19.12 million tonnes and the off-take was only 12.21 million tonnes-both wheat and rice together. This has happened despite the rise in the foodgrains price by 21 per cent, according to the Economic Survey.

@Starred Question Nos. 64f and 72 were taken together.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri N.R. Dasari.

My question is, what steps is the Government taking to streamline the PDS? That is part (a) of my question. Part (b) is, how many people, families, have already been taken into the specially targeted section? Part (c) is, why is the Government taking an anti-poor position? I want to know that.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, this Government has taken a pro-poor stand always. Even now, when the prices of foodgrains were raised, when the issue prices were raised, there was a roll-back so far as the poorer sections were concerned. For the below-poverty-line section, there was roll-back. It is going to cost the Government a good deal of money. My hon. friend has mentioned that the lifting of foodgrains is low in some areas at some particular time. Lifting of foodgrains means requirement of foodgrains. There is no shortage in the issue of foodgrains as there is no complaint regarding the issue of foodgrains, that they have demanded so much and we have issued so much. We don't receive any complaints like that. Whatever demand is received from a State, we generally issue that quantity of rice or wheat required by that State. The question of lifting of foodgrains is dependent on the State Government. When they actually require the foodgrains, they lift the same. If they do not require it, they keep it in the stores.

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Chairman, Sir, my question relates to supply of foodgrains through the PDS to the inaccessible areas during floods. Sir, in Assam, there are certain areas which remain inaccessible for six months in the rainy season, and most of the time, due to communication disruption during floods. Though foodgrains quota is allotted to these areas through the PDS, people do not get the foodgrains facility from the PDS. I want to know precisely from the hon. Minister as to what additional arrangement has been proposed to be made so that foodgrains supplied through the PDS are available to the people living in those inaccessible areas so that they do not suffer. Secondly, as per the allotment system which is prevailing in Assam, certain mill-owners are given the charge of processing wheat, and thereafter, it is given to the PDS to be distributed to the common consumers. Now, many times, the F.C.I. could not supply the foodgrains because of communication problem or storage facility problem. So, they could not supply the foodgrains in time. As such, the common people are the sufferers. They are not being provided with the PDS quota. I want to know from the hon. Minister as to what steps have been taken by the Ministry to ensure that the foodgrains are supplied in a regular way.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, in Assam and other North-Eastern States, sometimes, there is a difficulty of transportation. Sometimes, the transportation system breaks down due to floods or due to some disruption in the traffic. That difficulty was being faced. Now, what we are doing is that we are keeping large quantities of foodgrains in stores in those areas which should be sufficient for overcoming the demand during rainy season, and also at least, meet the demand for the next three months. So, we have some points in these States where we keep large storages and sufficient storages for these areas have been provided in this year. From there beyond that storage point, it is the responsibility of the State Government to take it to the remote areas. For that, sometimes, they are given some support also by way of transport subsidy.

श्री रामजी लाल: अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गांव में जो डीलर होते हैं, ऐसा देखा गया है कि गांवों में पी०डी०एस० का कोटा जो जाता है, गांव वाले लोगों के पास अनाज होता है, वह चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसमें से लोग चीनी तो ले जाते हैं और बाकी वे लेते नहीं हैं, सारा का सारा कोटा ब्लैक में बेच दिया जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके पास ऐसी कितनी शिकायतें आई हैं, कितने लोगों

के खिलाफ इंक्वायरी कराई गई है? इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी कोशिश भी करेंगे कि भविष्य में जो भी कोटा जाए गांवों में, उसका वितरण ठीक हो, वह गरीब आदमी को मिले?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: सर, इस पर सैंट्रल का कोई कंट्रोल नहीं है, यह पी०डी०एस० सिस्टम सारा का सारा स्टेट्स चलाती है और यह उन्हीं का काम है कि वे कैसे मैनेज करती है। कई जगह बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, कई जगह बहुत अच्छी नहीं है, जैसा कि आनरेबल मैम्बर कह रहे हैं, कम्प्लेंट्स भी आती है कि वहां पी०डी०एस० का कोटा लोगों को नहीं मिलता, ब्लैक में चला जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स उनके खिलाफ ऐक्शन भी लेती है, कई जगह रेड्स किए जाते हैं, कई जगह पकड़े जाते हैं। उनका हमारे पास हिसाब-किताब नहीं होता। मैं इस पर कोई और ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता।

Commission for the care of Children

*65. SHRIMATI KAMLA SINHA:
SHRI S.R. BOMMAI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Prime Minister and the Minister of Human Resource Development had declared on the 14th November, 1998, in a function to observe Children's Day organised by the National Bal Bhawan that Government would soon take steps to constitute a Child Commission to take care of problems faced by children of the country;

(b) whether the Commission has been or is being constituted and who would be members of that Commission; and

(c) what would be the participation of the State Governments and the NGOs working in the said field, in that Commission?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Yes, Sir. The declaration was made by me on 14th November 1998 in the presence of the Hon. Prime Minister who commended the setting up of the National Commission for Children.

(b) and (c) The matter regarding setting up of a National Commission for Children is under Consideration of the Government.

श्रीमती कमला सिन्हा: सभापति महोदय, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि प्रधान मंत्री के सामने घोषणा हो जाती है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाता है और सारे देश को व लोगों को बताया जाता है कि ऐसा एक आयोग हम बनाने जा रहे हैं, फिर उस के 4 महीने बाद सरकार सदन में कहती है कि प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अभी तक सरकार इस प्रस्ताव पर विचार ही कर रही है। आप को पहले विचार कर पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहिए था। सभापति जी, यह तो बहुत ही गलत बात है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, हम ने यह कहा था कि राष्ट्रीय बाल आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव की सराहना की गयी थी। हम ने यह नहीं कहा था कि राष्ट्रीय बाल आयोग बना दिया गया है, यह एक बात है। दूसरे, राष्ट्रीय बाल आयोग बनाने के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। सभापति महोदय, हमारे देश में बहुत से आयोग हैं जोकि बालकों से संबंधित है, हमें उन का अध्ययन करना है, हमारे देश में बहुत से आयोग हैं जोकि महिलाओं से, पिछड़ी जातियों, शैड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंधित हैं, हमें उन का भी इस में ध्यान रखना है। इस के अलावा हमें राज्य सरकारों से भी परामर्श करना है। फिर विभिन्न मंत्रालय हैं जोकि बालकों के बारे में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, जैसे—श्रमिक विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इन सब से भी हमें परामर्श करना है। सभापति महोदय, इस संबंध में हम ने काफी काम शुरू किया है और मुझे सूचित करना है कि जिन सरकारों को हम ने लिखा था, उन में से राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, दमन और दीव के विचार हमें मिल गए हैं और इन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस के साथ-साथ हमें फेमिली वेलफेयर, अर्बन अफेयर्स और इनफॉर्मेशन ब्रॉडकॉस्टिंग मिनिस्ट्री के भी कमेंट्स मिल गए हैं। उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। फिर हमने हमारे मंत्रालय से संबंधित परामर्शदात्री समिति की बैठकें कर सम्मानित सदस्यों के विचार भी लिए हैं। इस प्रकार से हम गहन अध्ययन कर रहे है और एक ऐसा आयोग बनाने की

+ The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Kamla Sinha.